संख्याः 76 / छिहत्तर–1–2020–25सम / 2019

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉक 06 फरवरी, 2020

विषयः– **भारत सरकार द्वारा कियान्वित–'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के कियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 190 / छिहत्तर–1–2020–25 सम / 2019 दिनांक 24.01.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित **'जल जीवन मिशन'** के दिशा–निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा यथावत अंगीकृत करते हुए प्रदेश में **'जल जीवन मिशन'** के प्रभावी कियान्वयन हेतु लिये गये निर्णय के कम में **'जल जीवन मिशन'** की गाइड लाइन के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

2– भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित **'जल जीवन मिशन'** का कियान्वयन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से कराया जाना है। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–160 / छिहत्तर–1–2020–2 स्वजल / 2011, दिनांक 22 जनवरी, 2020 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की एपेक्स कमेटी (शीर्ष समिति) एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–161 / छिहत्तर–1–2020–2 स्वजल / 2011, दिनांक 22 जनवरी, 2020 द्वारा मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के सहयोग हेतु उनकी अध्यक्षता में कार्यकारणी समिति का पुनर्गठन किया गया है।

3– उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 24.01.2020 द्वारा **'जल जीवन मिशन'** के कियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम को नोडल विभाग नामित किया गया है। सन्दर्भित शासनादेश में **'जल जीवन मिशन'** के दिशा–निर्देशों के अनुसार ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु विभिन्न दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। **'जल जीवन मिशन'** के कियान्वयन के दृष्टिगत निम्न कार्यवाहियॉ प्राथमिकता पर करायी जानी हैं:–

(1) **'जल जीवन मिशन'** के कियान्वयन किए जाने हेतु विभिन्न जनपदों की जनपद कार्य–योजना (District Action Plan) संकलित करते हुए राज्य कार्य–योजना (State Action Plan) तैयार कर सक्षम अनुमोदन प्राप्त किया जाय। उक्त राज्य कार्य–योजना (State Action Plan) के आधार पर वार्षिक कार्य–योजना (Annual Action Plan) बनाकर ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण सुनिश्चित कराया जाय।

(2) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ई–टेन्डर के माध्यम से निविदा आमंत्रित करते हुए आपूर्तिकर्ता एवं कार्यदायी फर्मो / संस्थाओं को सूचीबद्ध किया जाय। ग्राम पंचायत / ग्राम

D:\2020\Jal jeevan Mission\GO-2020.docx

पंचायत एवं स्वच्छता समिति के परामर्श से जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा उक्त सूचीबद्ध कार्यदायी फर्मो मे से किसी फर्म / संस्था से पाइप पेयजल योजना का कार्य कराने का निर्णय लिया जायेगा।

(3) **'जल जीवन मिशन'** के अन्तर्गत विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम के माध्यम से डिजाइन स्टीमेट तैयार कराया जाय।

(4) कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेंसी का इम्पैनलमेन्ट करते हुए कार्यदायी फर्म / संस्था को भुगतान किए जाने से पूर्व एजेंसी द्वारा अनिवार्यतः इन्सपेक्शन कराया जाय।

(5) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनाओं के कियान्वयन में सहयोग एवं सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित किए जाने हेतु सहयोगी संस्थाओं / स्वंय सेवी संस्थाओं (Implementation Support Agency) का इम्पैनलमेन्ट किया जाय। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा विभिन्न ग्रामों हेतु सहयोगी संस्थाओं / स्वंय सेवी संस्थाओं की आवश्यकता का आंकलन करते हुए उक्त सूचीबद्ध सहयोगी संस्थाओं में से आवश्यकतानुसार संस्थाओं को जनपद में प्रचार–प्रसार हेतु आबद्ध किया जायेगा।

(6) कियाशील नल–जल संयोजन (FHTC) के लक्ष्य प्राप्ति हेतु कुशल मानव संसाधन, यथा–मैशन (राज मिस्त्री), प्लम्बर, फिटर, इलैक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक इत्यादि की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र (PMKVK) के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था करायी जाय।

4– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त प्रस्तरों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनश्चित कराते हुए जल जीवन मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 24.01.2020 के अनुरूप प्राथमिकता पर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय। प्रकरण अति महत्वपूर्ण है, अतएवं शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

भवदीय,

/

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्याः 76 / छिहत्तर–1–2020–25 सम / 2019,तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रधान निजी सचिव, मा0 जल शक्ति मंत्री, उत्तर प्रदेश।
(2) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(3) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

D:\2020\Jal jeevan Mission\GO 2020.docx